

२५

पतावली पेश हुई। प्रयोग व वकील शर्मा
उपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थिति रहने के कारण प्राचीन
पत्र से संबंधित मूल दावा अदम्य पंखी अदम्य
हाजती में खारिज हो चुका है। जिससे यह प्राचीन
पत्र भी अब आगे चलने योग्य नहीं है।

अब यह प्राचीन-पत्र भी इसी स्वरूप
खारिज किया जाता है। पतावली नियम में शुमार की
जावे तथा तस्वीब तकमिल की जाकर क्रायिल दफ्तर
की जावे।